

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर

निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या 25

दिनांक:01.11.2018

उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, भासन के पत्र सं० 496 दिनांक 15.05.2018 के माध्यम से वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिये नोडल एजेन्सी नामित किया गया है । निगम को कोल ईण्डिया द्वारा आवन्तित कोयले के लिये उ०प्र० में हैण्डलिंग किये जाने हेतु एक मात्र कोल समन्वयक नियुक्ति के लिये निविदायें आमन्त्रित की जाती है :-

निविदा केवल निगम द्वारा जारी निविदा पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में

उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर के कार्यालय में दिनांक 03.11.2018 से 24.11.2018 तक प्रातः 11.00 बजे से भाम 3.00 बजे तक रू० 23,600.00 (रू० 20,000.00 एवं 3,600.00 जी०एस०टी०) नकद/बैंक ड्राफ्ट (जो उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर के पक्ष में देय होगा) देकर निगम के कोल अनुभाग से खरीदे जा सकते हैं अथवा निगम की वेबसाईट- WWW.upsic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, किन्तु निविदा पत्र का मूल्य दिनांक 23.11.2018 के पूर्व निगम में जमा कराकर रसीद कटवाना अनिवार्य है। निविदा पत्र का मूल्य वापस करने योग्य नहीं है।

निविदा ई-टेन्डरिंग की वेबसाईट www.etender.up.nic.in के माध्यम से ही अपलोड की जायेगी, जिसके अन्दर टेक्निकल बिड पार्ट-1 तथा फाईनेन्सियल बिड पार्ट-2 अलग-अलग होगी। अर्नेस्ट मनी के रूप में रू० 50,00,000.00 एवं आर०टी०जी०एस०/डी०डी० निगम के खाता सं० 918010036349923 आई०एफ०एस०सी० कोड UTIB0002197 बैंक का नाम- एक्सिस बैंक लि०, भास्त्री नगर, कानपुर में देय होगा ।

निविदा के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर प्रोपराईटर/पार्टनर डायरेक्टर के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

निविदा पत्र दिनांक 26.11.2018 को सायं 4.00 बजे गठित निविदा समिति एवं निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

यदि निविदादाता स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है तो निविदादाता द्वारा अपने प्रतिनिधि को अधिकार पत्र निविदा में शामिल होने हेतु दिया जायेगा, जोकि प्रतिनिधि द्वारा निविदा में सम्मिलित होने के लिये समिति समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बिना अधिकार पत्र के कोई भी प्रतिनिधि निविदादाताओं की ओर से शामिल नहीं हो सकेगा।

निविदा पत्र खोलने के बाद जो निविदादाता निविदा पत्र की टेक्निकल बिड पार्ट-1 भागों को पूरा करेगा, उसे ही अग्रेतर कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा।

कोल समन्वयक की नियुक्ति निविदा की नियम एवं भागों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर तीन वर्षों तक की अवधि के लिये होगी।

चयनित निविदादाता को ₹0 1.00 करोड़ चयन के 15 दिन के अन्दर निगम में धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

किसी भी प्राप्त निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकार/आस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर में निहित होगा।

प्रबन्ध निदेशक

टेक्निकल बिड-पार्ट -1

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 23,600.00 (रू0 20,000.00 एवं 3,600.00 जी0एस0टी0)

आवेदन पत्र

पार्टी का नाम व पता :
जिसके पक्ष में निर्गत :
:
:
रसीद संख्या :दिनांक.....
धनराशि :

(हस्ताक्षर व निर्गमन कार्यालय की सील)

रसीद के लिये यहाँ से काटे

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 23,600.00 (रू0 20,000.00 एवं 3,600.00 जी0एस0टी0)

आवेदन पत्र

पार्टी का नाम व पता :
जिसके पक्ष में निर्गत :
:
:
रसीद संख्या :दिनांक....
धनराशि :

(हस्ताक्षर व निर्गमन कार्यालय की सील)

नोट- निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर टेण्डर भरने वाले आवेदकों को उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के नाम ई-पेमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना पड़ेगा।

प्रार्थना पत्र

(फर्म/कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०

110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज

कानपुर।

महोदय,

मै/हम आपके विज्ञापन दिनांक.....को समाचार पत्र (..... समाचार पत्र का नाम एवं ई- टेन्डरिंग सं) में प्रकाशित हुआ के क्रम में उ०प्र० के समस्त जनपदों के लिये कोल समन्वयक के रूप में नियुक्ति हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे है। आपके द्वारा निर्धारित निविदा पत्र की सभी शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की सभी शर्तों/कोल इण्डिया की सभी शर्त मुझे/हमें मान्य है। निर्धारित निविदा पत्र ई- टेन्डर के माध्यम से 2 बिड सिस्टम पर आमन्त्रित किया गया है।

सलंगनक- शपथ पत्र (नोटराइज्ड)

आवेदक का नाम/पद नाम/कम्पनी का नाम/पता/ हस्ताक्षर व मोहर

शपथ पत्र

(100/-रु० के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

समक्ष

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०

110, औद्योगिक आस्थान,

फजलगंज,

कानपुर

शपथपत्र मिनजानिब में.....पुत्र श्री.....आयु.....स्थायी पता..

.....मेरे द्वारा दी गयी सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1- यह कि मूल रूप से भारतीय निवासी हूँ और मेरा स्थायी पता और आयु उपर दिये गये विवरण के अनुसार है। इस शपथ पत्र में दिये गये तथ्यों से भली भॉति परिचित हूँ, कोई तथ्य असत्य एवं छिपाया नहीं गया है।
- 2- कि मैं.....फर्म/कम्पनी में निदेशक/साझेदार /एक स्वामी हूँ और फर्म/कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय का पता..... और मुझे निविदा को हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है।
- 3- उपर्युक्त फर्म/कम्पनी देश के विभिन्न राज्यों में कोयले की हैण्डलिंग का कार्य करती है और इसकी उन सभी राज्यों में अच्छी प्रतिष्ठा है।
- 4- मैं यह घोषणा करता हूँ कि.....फर्म/कम्पनी, गत पांच वर्षों में किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था राज्य/राज्य इकाई गैर सरकारी संस्था अथवा कम्पनी द्वारा ब्लैक लिस्ट/दीवार घोषित नहीं किया गया है।
- 5- यह कि मैं/हम अपनी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रेषित विवरण सही है यदि इसमें कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मेरे/हमारे द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुये आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाये और इसके लिये मुझे/हमे कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई भी सूचना गलत होने पर सम्भावित कार्यवाही के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर एवं फर्म की सील व पूर्ण पता

सत्यापन-

मैं उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा 1 से 5 मेरी जानकारी व अभिलेखों के आधार पर सत्य व सही है। कोई भी तथ्य असत्य एवं छिपाया नहीं गया है।

यह सत्यापन आज दिनांक.....को हस्ताक्षरित कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता

निविदा प्रपत्र

- 1- फर्म/कम्पनी का नाम :
- पता :.....
- :.....
- फोन नं० कार्यालय:.....
- निवास-.....
- फैक्स नं० कार्यालय..... टेलीफैक्स.....
- ई-मेल :.....

2. अर्नेस्ट मनी का विवरण-

क- धनराशि रू० 50,00,000 (रू० पचास लाख मात्र) का आर०टी०जी०एस०/डी०डी० के माध्यम से उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि० के पक्ष में देय होगी। निगम का खाता सं 918010036349923 आई०एफ०एस०सी० कोड UTIB0002197 बैंक का नाम- एक्सिस बैंक लि०, भास्त्री नगर, कानपुर की डेबिट एडवार्ड्स का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

ख- आर०टी०जी०एस०/डी०डी० सं०.....दिनांक.....

ग- बैंक का नाम :.....

3- विगत पाँच वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न)

4- फर्म/कम्पनी रजिस्ट्रेशन नं० :.....
(सत्यापित छायाप्रति सहित)

5- जी०एस०टी० पंजीयन नं०
(जी०एस०टी० पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति सहित)

6- पैन नं० पाँच वर्षों का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित)

7- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित पूर्व पाँच वर्षों की बैलेन्स शीट।

8- नेट वर्थ/कुल पूँजी कम से कम रूपये पन्द्रह करोड दिनांक 31.03.2018 को होनी चाहिये (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र)।

9— फर्म/कम्पनी के पूर्व पाँच वर्षों (2013–14 से 2017–18 तक) में कम से कम रूपये पचास करोड की टर्न ओवर का सी0ए0 द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।

10— पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में 2.00 लाख मैट्रिक टन कोल हैण्डलिंग का किसी राज्य/राज्य इकाई/केन्द्रीय सरकार की संस्था को आवंटित कोयले के लिये राज्य की नामित नोडल एजेन्सी के माध्यम से राज्य के निर्देशानुसार कोयले के लिये समन्वयक के रूप में लघु औद्योगिक इकाईयों (जिसमें ईट भट्टे शामिल हैं) के लिये कोयला रेल द्वारा लाकर उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है

विगत पाँच वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न)।

वित्तीय वर्ष (2013–14 से 2017–18 तक) :.....

11— अन्य स्थानों पर फर्म/कम्पनी के कार्यालयों का पता।

संलग्नकों का विवरण—

- 1— पात्र कोल समन्वयक को विगत पाँच वर्षों में हैण्डलिंग/समन्वयक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। (जैसा कि निविदा पत्र की बिन्दु 10 की निर्धारित शर्तों में इंगित किया गया है)
- 2— अर्नेस्ट मनी के रूप में रू० पचास लाख का आर०टी०जी०एस०(बैंक द्वारा जारी डेविट एडवाइस का प्रमाण पत्र)/डी०डी०
- 3— फर्म/कम्पनी रजिस्ट्रेशन नं० (सत्यापित छायाप्रति सहित)
- 4— फर्म अथवा कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रेशन डीड की सत्यापित छायाप्रति।
- 5—(अ) पार्टनरशिप का प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप की दशा में पार्टनरशिप डीड व रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
- 5—(ब) कम्पनी की दशा में कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल आफ एसोसिएशन की सत्यापित प्रतियाँ।
- 6— जी०एस०टी० पंजीयन प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित)
- 7— पैन नं० व पाँच वर्षों का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित)
- 8— रूपये पन्द्रह करोड की नेट वर्थ का चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र।
- 9— आयकर प्रमाण पत्र(पैन कार्ड की छायाप्रति)।
- 10— अन्य स्थानों पर फर्म/कम्पनी के कार्यालयों को पता।
- 11— शपथ पत्र सौ रूपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर।
- 12— निगम की शर्तें (स्वीकारोक्ति हेतु प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर संलग्न करे।)
- 13— मूल प्रमाण पत्र भी निगम के अवलोकनार्थ होंगे।
- 14— कोई भी अन्य प्रपत्र जो आवेदक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना चाहे।

संविदा की नियम व शर्तें—

- 1— एक मात्र कोल समन्वयक निगम (उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०) के माध्यम से मेसर्स कोल इण्डिया लि०/उद्योग निदेशालय से प्राप्त कोल आवंटन के विरुद्ध कोल रैकों के प्रोग्राम कोल इण्डिया लिमिटेड से एवं रैकों की व्यवस्था हेतु रेलवे विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगा तथा रेलवे से रैकों की व्यवस्था करेगा।
- 2— उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कोल इण्डिया लिमिटेड, के पक्ष में बैंक गारन्टी/लैटर आफ क्रेडिट इत्यादि खुलवायेगा एवं इस पर होने वाली प्रारम्भिक धनराशि से सम्बन्धित मार्जिन मनी/एफ०डी०आर० लगभग रू० 10.00 करोड (रू० दस करोड मात्र) एवं इसके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार वांछित मार्जिन धनराशि की व्यवस्था चयनित समन्वयक तत्काल सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त व्यय जैसे मार्जिन, ब्याज, कमीशन इत्यादि जो भी आवश्यक होगी, का वहन भी चयनित समन्वयक द्वारा ही किया जायेगा। कोल इण्डिया को भेजे जाने वाली समस्त धनराशि जैसे कोयले का मूल्य आदि चयनित समन्वयक द्वारा लघु औद्योगिक इकाईयों के माध्यम से अग्रिम रूप से उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, में जमा कराई जायेगी। जिससे उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कोल इण्डिया को ससमय भुगतान कर सकें। यदि चयनित समन्वयक लघु इकाईयों के माध्यम से कोयले का उपरोक्त मूल्य स-समय निगम में जमा करने में असमर्थ होता है तो यह धनराशि चयनित समन्वयक द्वारा स्वयं के खाते से जमा करायी जायेगी जिसे लघु औद्योगिक इकाईयों से वापसी की जिम्मेदारी चयनित समन्वयक की होगी।
- 3— निविदा में सफल चयनित समन्वयक को कोल इण्डिया लिमिटेड में अग्रिम जमा लगभग रू० 10.00 करोड की धनराशि और उपरोक्त बैंक गारन्टी की धनराशि इत्यादि कोल इण्डिया लिमिटेड के ईधन आपूर्ति संविदा (एफ०एस०ए०) में निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, में, मांग को 15 दिन के भीतर जमा करानी होगी। अर्थात् निगम की कोई भी धनराशि उक्त व्यापार के मद में नहीं लगेगी।

- 4- उपरोक्त के अतिरिक्त कोल व्यवसाय के सम्पादन (हैण्डलिंग) के सम्बन्ध में वांछित समस्त धनराशि चयनित समन्वयक द्वारा लाभान्वित होने वाली एम0एस0एम0ई0इकाईयों के माध्यम से ससयम निगम मे जमा की जायेगी।
- 5- अस्तु चयनित समन्वयक कोल इण्डिया लिमिटेड से सहमति पत्र लेकर रेलवे में रैकों के प्रोग्राम हेतु सहमति पत्र एवं अन्य पत्र प्रस्तुत करेगा। रैंक आवंटित होने के उपरान्त चयनित समन्वयक अच्छी क्वालिटी (गुणवत्ता) का कोयला लोड कराना सुनिश्चित करेगा। जिसका पूर्ण दायित्व चयनित समन्वयक का होगा। यदि कोयला खराब लोड होने की संभावना होगी तो चयनित समन्वयक रैंको को निरस्त कराने की कार्यवाही उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0, की ओर से सम्पादित करायेगा। उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 उपरोक्त कार्य में चयनित समन्वयक का सहयोग करेगा। लेकिन इसका सम्पूर्ण दायित्व चयनित समन्वयक का होगा। नैसर्गिक परिस्थिति के विपरीत खराब गुणवत्ता की स्थिति में चयनित समन्वयक कोई भी क्लेम उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 से नहीं कर सकेगा।
- 6- कोयले की गुणवत्ता की कमी आदि की जिम्मेदारी भी पूर्णतया चयनित समन्वयक की होगी। इस हेतु रेलवे क्लेम आदि चयनित समन्वयक उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 के माध्यम से दायर करेगें। उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 द्वारा चयनित समन्वयक को रेलवे में उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 की ओर से क्लेम दायर किये जाने हेतु अधिकृत करेगा।
- 7- अस्तु यदि किन्हीं परिस्थितियों में रैंक का सम्पूर्ण उठान रेलवे साईडिंग से सम्भव नहीं हो पाता है तो, चयनित समन्वयक द्वारा रेलवे से अनलोडिंग तथा भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी। कोल साईडिंग से भण्डारण तक आने वाले समस्त व्यय समन्वयक द्वारा वहन किये जायेंगे। इससे सम्बन्धित प्रपत्र/रसीद चयनित समन्वयक द्वारा उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 को ससमय उपलब्ध कराये जायेंगें।
- 8- राज्य सरकार के शासनादेश में पात्र, इकाईयों द्वारा यदि ससमय उठान न होने की दशा में जो वारफेज और डैमरेज रेलवे द्वारा लिया जायेगा, उसके प्रपत्र/रसीद चयनित समन्वयक द्वारा उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 को ससमय उपलब्ध करायेगें।

- 9— माल का इन्श्योरेन्स व सुरक्षा की व्यवस्था भी चयनित समन्वयक द्वारा निगम के पक्ष में की जायेगी। इस पर होने वाले समस्त व्यय का विवरण चयनित समन्वयक निगम को उपलब्ध करायेगा। भण्डारण निर्धारित किराया/शुल्क, लोडिंग, अनलोडिंग, सुरक्षा व्यवस्था शुल्क आदि उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि० द्वारा वास्तविक आधार पर नियमानुसार रैकवार कास्टिंग में जोड़ा जायेगा।
- 10— कोयला भण्डारण की दशा में कोयला रेलवे साईडिंग से भण्डार तक की व्यवस्था चयनित समन्वयक करेगा और भण्डारण तक ट्रांसपोर्टर की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये व्यवस्था करेगा। ट्रांसपोर्टरों की नियुक्ति करते समय चयनित समन्वयक राज्य/प्रदेश के ट्रांसपोर्टर से बिल निगम में उपलब्ध करायेगा, जिसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चयनित समन्वयक द्वारा की जायेगी। जिसका बिल चयनित समन्वयक द्वारा उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि० को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11— चयनित कोल समन्वयक कोयले का अग्रिम भुगतान करके निगम को कोल बिल उपलब्ध कराते हुये आर०आर० /आई० बांड (रेलवे रसीद/आईडेन्टि बॉन्ड) आदि प्राप्त करेगा। जी०एस०टी० के मद में जी०एस०टी० कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये अग्रिम रूप से किया जायेगा। कास्टिंग से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त करने हेतु अग्रिम रूप से निगम में चयनित समन्वयक द्वारा उ०प्र० लघु उद्योग लि० कानपुर के कार्यालय में जमा करायी जायेगी।
- 12— चयनित कोल समन्वयक कोयले का वास्तविक मूल्य जिसका भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है, वास्तविक रेल भाडा, सडक परिवहन भाडा वास्तविक, जी०एस०टी० एवं अनुमन्य लाभांश व अन्य व्यय निर्धारित नीति के अनुसार वास्तविक आधार पर रैकवार विक्रय दर निर्धारित करते समय लिया जाना निर्दिष्ट है। उस समस्त धनराशि की रसीद सहित लेखा तथा मूल प्रपत्र निगम को उपलब्ध कराने का दायित्व भण्डार प्रबन्धक/समन्वयक का होगा। उपरोक्त समन्वयक लेखा बनाने में निगम को सहयोग करेगा।

- 13— चयनित समन्वयक रू0 1.00 करोड(रू0 एक करोड मात्र) की सुरक्षा धनराशि निगम के पास जमा करेगा। यह धनराशि नियुक्ति होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से निगम में जमा करनी होगी, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। समय के अन्दर सुरक्षा धनराशि जमा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित समन्वयक कार्य करने का इच्छुक नहीं है। अस्तु चयनित कोल समन्वयक की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा निविदा में जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 14— चयनित कोल समन्वयक निर्धारित अवधि में अपरिहार्य परिस्थिति व नैसर्गिक व्यवधान को छोड़कर राज्य की कोयले की मांग होने पर भी आवंटन के विरुद्ध माल उपलब्ध न कराने की स्थिति में पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा निगम को लम्बित एनेकजर/आवंटन के विरुद्ध प्राप्त होने वाले लाभांश का भुगतान चयनित समन्वयक को करना होगा, अन्यथा उक्त धनराशि उनकी सुरक्षा राशि से काट लिया जायेगा।
- 15— शासनादेश/विभिन्न अनुमोदित प्रक्रिया के आधार पर भण्डार प्रबन्धक द्वारा निर्गत डिलीवरी आर्डर के विरुद्ध निगम के भण्डार स्टॉफ कोयले की डिलीवरी चालान/बिल आदि भी भण्डार प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा।
- 16— भण्डार प्रबन्धक टैक्स इन्वाइस इकाईयों के पक्ष में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा कोयले की कीमत एवं प्रचलित जी0एस0टी0 सहित प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित रैक वाइस दरों के आधार पर निर्गत करेगा।
- 17— कोल इण्डिया लिमिटेड से आवंटन प्राप्त करने हेतु अनुमन्य धनराशि चयनित समन्वयक द्वारा लघु औद्योगिक इकाईयों के माध्यम से अग्रिम रूप से माहवार निगम में जमा कराई जायेगी। जिससे निगम ईंधन आपूर्ति संविदा (एफ0एस0 ए0)के अन्तर्गत कोयले का आवंटन प्राप्त कर सके।
- 18— चयनित समन्वयक निर्धारित अवधि में अपरिहार्य परिस्थिति व नैसर्गिक व्यवधान जैसे कोल इण्डिया से कोयला प्राप्त न होना, रेलवे से आवंटन न होना, राज्य में कोयले की मांग का न होना या अन्य अपरिहार्य

परिस्थितियों आदि को छोड़कर जिसका निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा को आवंटन के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 90 प्रतिशत माल उठाना होगा। यदि किसी परिस्थिति में चयनित समन्वयक उक्त मात्रा से कम माल उठाता है तो भी निर्धारित लक्ष्य का लाभांश निगम में अग्रिम जमा कराना होगा। अन्यथा अवशेष लाभांश सुरक्षा धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

- 19— चयनित समन्वयक द्वारा अवशेष लाभांश, दुरुपयोग, कमी, आदि से सम्बन्धित अवशेष भुगतान को समय से न देने पर निगम को यह अधिकार होगा कि वह अवशेष का सुरक्षा धनराशि से एवं एरियर आफ लैण्ड रेवेन्यू अंडर यू0पी0 मनी रिकवरी आफ ड्यूज एक्ट 1972 (समय-समय पर संशोधित) के तहत प्रचलित ब्याज सहित वसूल कर सकेगा।
- 20— आयकर/ जी0एस0टी0 और कोई भी अन्य देय/लागू कर, निर्धारित मूल्य के आधार पर चयनित समन्वयक के खाते में माहवार काट लिये जायेंगे जो भी नियमानुसार आयकर/ जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत लागू होंगे और उसके अनुसार जो भी कर कटौती का प्रमाण पत्र होगा, वह प्रमाण पत्र बनाकर चयनित समन्वयक को निगम की ओर से दे दिया जायेगा।
- 21— निगम द्वारा चयनित समन्वयक की कार्य क्षमता एवं निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का त्रैमासिक मूल्यांकन/समीक्षा की जायेगी जिस पर सन्तुष्ट न होने की स्थिति में निगम को चयनित समन्वयक का अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा। वित्तीय वर्ष के आधार पर भी चयनित समन्वयक के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
- 22— यह संविदा आगामी तीन वर्षों के लिये वैध होगी। यदि निगम कभी भी राज्य की नोडल एजेन्सी नहीं रहता है एवं कोल इण्डिया से ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं होता तो यह अनुबन्ध चयनित समन्वयक के साथ स्वतः ही समाप्त हो जायेगा, परन्तु नियुक्ति निरस्तीकरण एवं निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुबन्ध अवधि में वृहद व्यापार के पूर्ण लेखा लेन देन तक लागू रहेगा।

- 23— संलग्न वित्तीय प्रपत्र (फाइनेन्शियल बिड) में प्राप्त की गई मूल दरों, जो निगम द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार की जाती है पर ही लाभांश समन्वयक को अनुमन्य होगा।
- 24— प्राप्त कोयले का इकाईयों में वितरण/आवन्टन की सम्पूर्ण क्रिया/प्रक्रिया निगम के भण्डार प्रबन्धक तथा निगम के तत्सम्बन्धित तैनात स्टॉफ द्वारा सम्पादित की जायेगी। नियुक्त समन्वयक की किसी भी दशा में किसी भी प्रकार इकाईयों के मध्य कोयले के वितरण/आवन्टन का अधिकार न होगा और न ही नियुक्त समन्वयक कोयले आवन्टन/वितरण की प्रक्रिया में शामिल होगा।
- 25— संविदा की विभिन्न शर्तों को आवश्यकतानुसार दोनो पक्षों की आम सहमति पर समय समय पर संशोधित किया जा सकेगा।
- 26— उन्हीं निविदाताओं की फाइनेन्शियल बिड पार्ट-2 खोली जायेगी जो टेक्निकल बिड पार्ट-1 में निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूर्ण करेगें, जिस पर प्रबन्ध निदेशक का निर्णय मान्य होगा।
- 27— चयनित समन्वयक द्वारा कोयले से सम्बन्धित अथवा कोई भी विवाद केवल कानपुर न्यायालय (ज्यूरिडिक्शन) मे किये जायेगें परन्तु न्यायालय मे कोई वाद दायर करने से पूर्व दोनो पक्ष आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर स्वीकार करते हुये विवाद का समझौता करायेगें।

उपरोक्त सभी शर्तें अद्योहस्ताक्षरी को मान्य है।

आवेदक का नाम/पद नाम/कम्पनी का नाम/पता/हस्ताक्षर व मोहर

फाईनेशियल बिड-पार्ट -2

आवेदन पत्र

- 1- नवीन कोल नीति -2007 तथा ईंधन आपूर्ति संविदा के प्राविधानुसार निगम को कोल इण्डिया द्वारा समय समय पर निर्धारित बेसिक कोल दर पर 5 प्रतिशत लाभांश अनुमन्य है। आवेदक द्वारा अपनी सेवाओं को निगम की नियम व शर्तों की प्रतिपूर्ति करने हेतु 5 प्रतिशत निगम को अनुमन्य लाभांश में सेप्रतिशत (शब्दों में.....) की दर से जी0एस0टी0 अतिरिक्त (प्रतिशत 2 डेसीमल तक काउन्ट होंगे) कोआर्डिनेशन चार्जस प्रतिफल के रूप में लेना स्वीकार्य है।
- 2- उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा कार्य अनुभव एवं आर्थिक सुदृढता भी समन्वयक के चयन में निगम द्वारा विचारणीय होगी।
- 3- उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा यदि उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 के कुल लाभांश में से 20 प्रतिशत से कम धनराशि अंकित की जाती है तो वह टैन्डर विचारणीय नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर व मोहर